न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी–2123–पीबीआर/2001 विरुद्ध आदेश दिनांक 27.07.2001 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 16/99–2000/अपील।

प्रभूदयाल पुत्र मल्हा राम
निवासी भगरौनी तहसील नरवर
जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....आवेदक

विरुद्ध

1. किशोरी लाल पुत्र ग्यासी राम
2. हरी सिंह पुत्र करन सिंह
3. सरमन सिंह पुत्र हरज्ञान सिंह
   समस्त निवासी ग्राम किशनपुर तहसील
   नरवर जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....अनावेदकगण

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0डी0 शर्मा
अनावेदक क. 1 एक पक्षीय एवं अनावेदक क. 2 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान

आदेश

(आज दिनांक 21-11-17 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 16 / 99–2000 / अपील में पारित आदेश दिनांक 27.07.2001 के विरुद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा संहिता की धारा–89 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम मगरौनी के सर्वे क. 481 की सीमायें पूर्व बंदोवस्त अक्श सर्वे नं. 497 की सीमाओं के मुताबिक दुरुस्त किये जाने की मांग की है। तहसीलदार द्वारा विधिवत् कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए दिनांक 09.07.96 द्वारा आवेदक का आवेदन–पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि ग्राम पंचायत को किसी भी भूमि को विक्रय करने का अधिकार नहीं है और ना ही आवेदक का राजस्व अभिलेख में स्वामित्व या कब्जा ही दर्ज है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा भी अपने आदेश दिनांक 23.08.99 द्वारा तहसीलदार का उक्त आदेश स्थिर रखा गया है जिसके विरुद्ध अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर में प्रस्तुत अपील को आदेश दिनांक 27.07.2001 द्वारा निरस्त किया गया जिसके विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में दिए गए तर्कों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जाए।

4 अनावेदक क. 2 व 3 की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

5. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने प्रकरण के संपूर्ण तथ्यों का उल्लेख करते हुए एवं अभिलेख का अवलोकन करने के उपरांत यह पाया है कि सर्वे नं. 481 पर 1990–91 से 1994–95 तक स्कूल दर्ज है। उन्होंने यह भी पाया है कि

आवेदक द्वारा खसरे आदि की कोई प्रति पेश नहीं की गई है, जिससे विवादित सर्वे नं. के किसी वाद पर उसका नाम दर्ज हो। उक्त आधार पर उन्होंने यह निष्कर्ष निकालने में कोई त्रुटि नहीं की है कि जब आवेदक का नाम भूमि स्वामी स्वत्व पर ही दर्ज नहीं है तो उसके द्वारा सर्वे नं. की दुरुस्ती की मांग किये जाने को कोई औचित्य नहीं है। अभिलेख के अवलोकन उपरांत उनके द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष भी उचित है कि पंचायत को भूमि पट्टे पर आवास हेतु देने का अधिकार है, किन्तु विक्रय का अधिकार नहीं है तथा आवास हेतु 100×75 अर्थात् 7500 वर्गफुट भूमि दिए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उक्त आधार पर उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है। अपर आयुक्त का आदेश औचित्यपूर्ण न्यायिक एवं विधि सम्मत होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती हैं

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य,
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर